न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/94

प्रार्थी:–

इस्माईल खां पुत्र अजीम खां, जाति पिंजारा मुस्लमान निवासी गुड़ा एन्दला, तहसील पाली हाल निवासी सुभाष नगर, वार्ड संख्या 4 प्रताप बाजार रानी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. अजीम खां वल्द नेनू खां के कायम मुकाम के वारिसान
   1/1 शूकर मोहम्मद वल्द अजीमा खां जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी नयापुरा की गली, जैन मन्दिर के पीछे, नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
   1/2 रोशन पुत्र अजीम खां जोजे मरहूम ला खां जाति पिंजारा मुसलमान निवासी केसुली रोड़, मदरसा के पास, नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
   1/3 जुबेदा पुत्री अजीम खां जोजे मोईनुद्दीन जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
   1/4 मुनीया पुत्री अजीम खां जोजे मेहबूब खां जाति पिंजारा मुसलमान निवासी तहसील कार्यालय के पीछे, सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
2. गिरिराजसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम गुड़ा एन्दला तहसील व जिला पाली (राज.)
3. ग्राम पंचायत गुड़ा एन्दला जरिये सरपंच गुड़ा एन्दला, तहसील व जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अग्निमित्र चौहान।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ा एन्दला, तहसील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या निल की पालना में अप्रार्थी अजीम खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 86 दिनांक 26.06.1993 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1/1 बावजूद नोटिस तामिली असालतन/वकालतन तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/4 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में निःशुल्क जारी किया गया, जिसमें वर्णित शर्त संख्या 3 व 8 का पट्टाधारक द्वारा उल्लंघन किया गया। जैर निगरानी आराजी पर किसी मकान का निर्माण नहीं किया गया है और पट्टाधारक ने उक्त आराजी को आगे बेचाण भी कर दिया है। उक्त भूखण्ड पारिवारिक बंटवाड़ा के अनुसार प्रार्थी इस्माईल खां के हक हिस्से में आया जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा है और उसका रहवासीय उपयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल जारी कि गई, न ही पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव लिया गया। उक्त पट्टे पर आवंटी के हस्ताक्षर नहीं है, नक्शानवीश एवं सरंपच के हस्ताक्षर खाली छोड़े हुए है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिवत प्रक्रिया से प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने पट्टा जारी होने के बाद उत्पन्न अधिकारों को चुनौती दी है, जिसका क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। प्रार्थी ने 28 वर्ष के पश्चात् जैर निगरानी पट्टे को चुनौती दी है, जो कि प्रथमदृष्टया म्याद बाहर है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 87 खारिज किया गया है, तो इस कारण पट्टा संख्या 86 खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक प्रकरण के तथ्य अलग अलग होते है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के कब्जे और पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो कि विधिनुरूप है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुड़ा एन्दला, तहसील पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या निल की पालना में अप्रार्थी अजीम खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 86 दिनांक 26.06.1993 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 28 वर्ष बाद पश्चात् पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 28 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी में प्रश्नगत पट्टा जारी होने के पश्चात् उत्पन्न अधिकारों को चुनौती दी गई है, जिसका क्षेत्राधिकारी न्यायालय हाजा को न होकर सिविल न्यायालय को है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की गई है, न कि पश्चात्वर्ती उत्पन्न अधिकारों के आधार पर। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम

अति. जिला कलेक्टर पाली

पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तों यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषकों आबादी भूमि/अ. भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत अप्रार्थी आजीम खां के पक्ष में जारी किया गया। उक्त पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 3 के अनुसार इस आवासीय आवंटन भूमि के स्थानान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा। यह इनके स्वयं स्वामित्व में रहेगी तथा शर्त संख्या 8 में वर्णितानुसार इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झौपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापिस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार आवंटी ने उपरोक्त दोनों वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया, जिसकी ताईद में उन्होनें पंजीबद्ध विक्रय विलेख की प्रति पेश की। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 16.03.2021 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पट्टाधारक अजीम खां ने जैर आराजी गिरीराजसिंह को बेचाण कर दी तथा इसी विक्रय विलेख के तृतीय पृष्ठ पर अंकितानुसार बेचानसुदा भूखण्ड मौके पर खुला है, जिस पर कोई निर्माण तामिर नहीं है। उक्त आवंटन एक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को स्वयं के आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना था, न कि उसे क्रय–विक्रय अथवा व्यावसायिक उपयोग हेतु स्थानान्तरित करना। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा दोनों शर्तों का उल्लंघन किया गया, जो कि आवंटन की मूल भावना, उद्देश्य एवं विधिक प्रावधानों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अवलोकन से यह अतिरिक्त तथ्य भी प्रकाश में आया है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति की पुश्त पर ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अनिवार्य पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उक्त पट्टे की प्रति पर न तो तत्कालीन सरपंच, न ही सचिव अथवा नक्शा नवीस के हस्ताक्षर पाये गये। साथ ही ग्राम पंचायत की आवंटन समिति के किसी भी सदस्य तथा क्रेता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। हस्ताक्षरों के अभाव से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पारित किसी अधिकृत प्रस्ताव के आधार पर जारी नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पट्टे पर केवल मात्र एक प्रशासक के हस्ताक्षर है, इसके अतिरिक्त शेष समस्त हस्ताक्षर रिक्त है, जिससे यह प्रकट होता है कि अकेले एक ही व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48(1) की अवहेलना है। ग्राम पंचायत व्यक्तिगत संस्था नहीं होकर सामूहिक निकाय है इसलिये केवल सरपंच द्वारा अकेले पट्टा जारी किया जाना वैध नहीं माना जा सकता ऐसे निर्णय कानूनी रूप से ab initio void होते हैं। प्रश्नगत पट्टे की प्रति से स्पष्ट रूप से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

जाहिर होता है कि पट्टा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना एकतरफा रूप से सरपंच द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 174 RRD 1984 State of Raj. vs Govind Ram के अनुसार Mutation-Attested by Upsarpanch-Held, power of attesting mutation, delegated to G.P. having jurisdiction-G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch but a validly called meeting of G.P. having quoram-To hold other-wise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere-Mutation, cancelled. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुड़ा एन्दला द्वारा अप्रार्थी अजीम खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 86 दिनांक 26.06.1993 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. बर्जरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली